

# बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को मिली स्वीकृति

## चर्चा में क्यों?

4 जुलाई, 2023 को बिहार राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिये।

## प्रमुख बिंदु

- इस नीति के अंतर्गत बिहार सरकार राज्य में बायोफ्यूल्स उत्पादन के लिये प्लांट लगाने वालों को प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 15 प्रतिशत अनुदान देगी। यह अनुदान अधिकतम पाँच करोड़ तक होगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग की महिला, दिव्यांग, वार विडो, एसिड अटैक से पीड़ित व थर्ड जेंडर के उद्यमियों को प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 15.75 प्रतिशत और अधिकतम पाँच करोड़ 25 लाख रुपए दिया जाएगा।
- कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि इस नीति के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिये इकाइयों को स्टैंड-1 क्लीयरेंस के आवेदन देने की अंतिम तिथि 30 जून, 2024 है।
- साथ ही इन इकाइयों को 30 जून, 2025 तक वित्तीय प्रोत्साहन मंजूरी के लिये आवेदन करना होगा।

- यह नीति संकल्प निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2028 तक प्रभावित रहेगी।
- अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बायोफ्यूल्स के उत्पादन से जीवाश्म ईंधन के आयात पर राष्ट्रीय निर्भरता कम होगी। इसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की बचत होगी। बायोफ्यूल्स के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और किसानों को गन्ना एवं अनाज उत्पादन का शीघ्र भुगतान प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही कचरा को कंप्रेसड गैस में परिवर्तित करने की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे व्यापार के नए अवसर प्राप्त होंगे।
- इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति 2022 के तहत आवेदन करने वाली इकाइयों के लिये आवेदन की अंतिम तिथि विस्तारित करते हुए 30 जून, 2024 कर दिया है। पूर्व में 30 जून, 2023 निर्धारित थी।
- कैबिनेट ने इकाइयों द्वारा वित्तीय मंजूरी के लिये आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2025 करने की स्वीकृति दी है। बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति 2022 के लागू होने के बाद राज्य में कपड़े और चमड़े के क्षेत्र में निवेशकों को प्रोत्साहन मिला है।
- कैबिनेट ने बिहार वास्तुविद सेवा नियमावली 2014 में संशोधन करते हुए संविदा पर नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में 25 प्रतिशत वेटेज देने की स्वीकृति दी गई।

- राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद द्वारा 59 इकाइयों को पहले चरण में स्वीकृति दी गई है। इसमें प्रस्तावित निवेश की राशि 311.63 करोड़ है, इस नीति के लागू होने के बाद मुजफ्फरपुर बैग कलस्टर प्रारंभ हुआ। इसमें 1100 से अधिक औद्योगिक सिलाई मशीनों पर टेक्सटाईल बैग का निर्माण किया जा रहा है।
- मुजफ्फरपुर और पटना ज़िला में भी 1000 से अधिक स्टीचिंग मशीनों के साथ टेक्सटाईल बैग बनाने की इकाइयाँ स्थापित की गई है। मुजफ्फरपुर में आरसीएस इंटरनेशनल व वी-2 आदि कंपनियों द्वारा वस्त्र निर्माण की इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं। चमड़ा क्षेत्र में सात कंपनियों द्वारा मधुबनी में 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से परियोजना लाई जा रही है।

### बिहार औद्योगिक नीति 2016

- बिहार सरकार औद्योगिक निवेश नीति, 2016, राज्य में दुकान स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों को एक व्यापक पैकेज प्रदान करती है। यह आलेख नीति के सुस्पष्ट तंत्रों की मुख्य विशेषताओं का सारांश प्रस्तुत करता है।

### बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में हालिया विकास

भारत के तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक, बिहार की आबादी लगभग 30 मिलियन लोगों की है। 2005-2006 से 2014-2015 तक, बिहार की जीडीपी में नियमित कीमतों पर 10.5% की वार्षिक वृद्धि हुई, जिससे यह भारत के कई विकासशील राज्यों में से एक बन गया। बिहार का हालिया आर्थिक परिवर्तन बिहार सरकार की औद्योगिक

नीति द्वारा शुरू की गई व्यापक, राज्य के नेतृत्व वाली सुधार पहल का परिणाम है। सार्वजनिक वित्त और सरकारी व्यय में सुधार किया गया, और बुनियादी ढांचे के विकास में सार्वजनिक निवेश का विस्तार किया गया। राज्य ने विभिन्न उद्योगों को विकसित करने की योजना बनाई है, जैसे कृषि उपकरणों और छोटी मशीनों का उत्पादन, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा।

### बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में हालिया विकास

- बिहार उद्योग विभाग ने कानून और व्यवस्था तंत्र को भी नया रूप दिया। इन परिवर्तनों ने राज्य-स्तरीय निजी निवेश और औद्योगिक भागीदारी में वृद्धि के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है। राज्य के औद्योगीकरण के लिए भूमि की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। चूंकि भूमि अधिग्रहण अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके लिए 1,500 करोड़ रुपये की सीमा वाला एक कॉर्पस फंड स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। कारखानों और अन्य संबद्ध व्यवसायों द्वारा भूमि की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस सीमा को बढ़ाकर 2,500 करोड़ रुपये कर दिया गया। हाल ही में, बिहार राज्य सरकार ने भूमि क्षेत्र और विशेष औद्योगिक क्षेत्रों के त्वरित विकास को सुनिश्चित करने के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बीआईएडीए) और बिहार उद्योग विभाग के पक्ष में 1,650+ करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।
- आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ने औद्योगिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। सूक्ष्म, लघु और

मध्यम आकार के उद्यमों (एमएसएमई) पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है। विनिर्माण क्षेत्र के लाभ और एमएसएमई उद्यमियों की भलाई के लिए, बिहार उद्योग विभाग क्लस्टर-आधारित विकास को बढ़ावा दे रहा है। अब यह छोटी मशीनें, प्लास्टिक, परिधान, जूट और कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण विकसित करने के लिए विशेष क्लस्टर स्थापित कर रहा है।

- राज्य को निवेशकों के लिए अधिक स्वागत योग्य और आकर्षक बनाने के लिए बिहार सरकार औद्योगिक नीति जैसी नीतियों को लगातार लागू कर रही है। शिकायत निवारण के लिए उद्योग संवाद पोर्टल, एकल खिड़की प्रणाली का प्रभावी कार्यान्वयन, एक ऑनलाइन निरीक्षण प्रणाली का विकास, विभिन्न श्रम कानूनों के तहत एकल एकीकृत रिटर्न जमा करने का प्रावधान, उद्योग जोखिम प्रोफाइल के आधार पर विभेदित अनुपालन निरीक्षण आवश्यकताओं, सिंक्रनाइज़/संयुक्त का प्रावधान विभिन्न श्रम कानूनों के तहत निरीक्षण लागू किए गए कुछ प्रमुख सुधार उपाय हैं।
- उद्यमी बिहार औद्योगिक सेवाओं से संबंधित शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और कार्यान्वयन, निगरानी और बहाली के लिए नीति के सुस्थापित तंत्र के माध्यम से अपनी चिंताओं का समाधान कर सकते हैं।

### बिहार औद्योगिक नीति 2016 का उद्देश्य

- बिहार उद्योग विभाग ने घोषणा की है कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन; छोटी मशीन निर्माण; यह; आईटीईएस; इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर,

कपड़ा, प्लास्टिक और रबर, नवीकरणीय, चमड़ा और तकनीकी शिक्षा। नए व्यवसायों के निर्माण और नकदी और नौकरी के अवसर पैदा करके, राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का उनकी पूरी क्षमता से उपयोग किया जाएगा। इस नीति को तैयार करते समय व्यापार संघों, निवेशकों और विषय वस्तु विशेषज्ञों जैसे उद्योग जगत के नेताओं की चिंताओं पर विचार करने का प्रयास किया गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि इस नीति को अपनाने से राज्य को औद्योगीकरण करने, नौकरियाँ पैदा करने और इसके समग्र विकास में योगदान करने में मदद मिलेगी।

### बिहार औद्योगिक नीति 2016 की रणनीति

- खाद्य फसलों, विशेषकर सब्जियों और फलों में मूल्यवर्धित और आय बढ़ाने वाले निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है।
- यदि अच्छी तरह से विपणन किया जाए तो हथकरघा और हस्तशिल्प को व्यापक दर्शकों को बेचा जा सकता है। वे बिहार को प्रशिक्षित लोगों के लिए पसंदीदा स्रोत बना रहे हैं, जिनकी सेवाओं की देश और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अच्छी मांग हो सकती है।
- छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों (एसएमई) को उनकी कम भूमि आवश्यकताओं और पूंजी और ऊर्जा की प्रति इकाई उच्च श्रम अवशोषण दर के कारण समर्थन देना।
- बिहार उद्योग विभाग द्वारा एमएसएमई सेक्टर में क्लस्टर ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

- घरेलू उत्पादन, विशेषज्ञता और उपभोग पर निर्भर क्षेत्रों पर जोर दिया गया है।
- यह उन कंपनियों को तरजीह प्रदान करता है जो कम ऊर्जा का उपयोग करती हैं और कम प्रदूषण पैदा करती हैं।
- अमृतसर-कोलकाता-औद्योगिक गलियारे के तहत प्रस्तावित एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर में बड़े पैमाने पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित किया जाता है (AKIC)। बिहार औद्योगिक सेवाओं की परिकल्पना है कि जो निवेशक इन निर्दिष्ट क्षेत्रों के बाहर इकाइयाँ स्थापित करना चुनते हैं, वे अपने दम पर पर्याप्त भूमि का पता लगा लेंगे, भले ही राज्य सरकार उनकी मदद करेगी।
- राज्य के समृद्ध ऐतिहासिक पर्यटन उद्योग में अतिरिक्त निवेश को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है।
- पीपीपी दृष्टिकोण के तहत नई सुविधाओं के विकास और मौजूदा सुविधाओं के प्रबंधन को पुरस्कृत किया जाएगा।

## निष्कर्ष

- इस लेख में बिहार उद्योग विभाग, बिहार औद्योगिक नीति 2016 आदि के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का संक्षेप में अध्ययन किया गया है। राज्य सरकार और बिहार उद्योग विभाग ने इस उद्देश्य को पूरा करने में मदद के लिए 2016 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति विकसित की। नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समर्थन बुनियादी ढांचे का विकास करना एक महत्वपूर्ण तरीका है, जिसमें उन्नत प्रौद्योगिकी, कौशल वृद्धि, सहायता का एक संशोधित पैकेज और क्षेत्रीय विकास के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है, यानी पूरे राज्य में समान रूप से निवेश लाभ फैलाना। इस रणनीति का उद्देश्य वंचितों और महिला उद्यमियों को एक अनुरूप सहायता पैकेज प्रदान करके उनके जीवन में सुधार करना भी है।

